रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2010/भाद्र 26, 1932
No. 524] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2010/BHADRA 26, 1932

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 766(अ).— चूंकि वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार वायुयान (संशोधन) नियम, 2010 का प्रारूप भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या के सा.का.नि. 642(अ) तारीख 29 जुलाई, 2010 संख्यांक द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी गईं थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां, जनसाधारण को तारीख 29 जुलाई, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और प्रारूप नियमों की बाबत उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामशः-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 2010 है ।

2. वायुयान नियम, 1937 में, -

(क) नियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"22. किसी कर्मीदल सदस्य पर हमला और बाधा डालने संबंधी अन्य कार्य - विमान पर सवार, कोई व्यक्ति, -

(क) किसी कर्मीदल सदस्य पर शारीरिक रूप से या मौखिक रूप से, ऐसा हमला नहीं करेगा, अभित्रास नहीं करेगा या धमकी नहीं देगा, जिससे कर्मीदल सदस्य के कार्यों के अनुपालन में बाधा पड़ सकती है या उन कर्तव्यों को पूरा करने में कर्मीदल सदस्य की क्षमता कम हो सकती है;

(ख) समादेशक विमान चालक या समादेशक विमान चालक की ओर से किसी कर्मीदल सदस्य द्वारा दिए गए ऐसे विधिपूर्ण अनुदेश का पालन से इनकार नहीं करेगा जो विमान या किसी व्यक्ति या विमान पर लदी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए या विमान में सही व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के प्रयोजन के लिए दिये गये हों।

23. हमला या सुरक्षा को संकट में डालने वाले अन्य कार्य या व्यवस्था तथा अनुशासन को जोखिम में डालना - (1) विमान पर सवार कोई भी व्यक्ति, -

(क) किसी व्यक्ति पर शारीरिक या मौखिक रूप से हमला नहीं करेगा, उसका अभित्रास नहीं करेगा या धमकी नहीं देगा,

(ख) जानबूझकर कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा या संपत्ति नष्ट नहीं करेगा,

(ग) मद्यसारिक पेय या मादक द्रव्य का सेवन नहीं करेगा,

जिससे वायुयान या किसी व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में पड़ने की आशंका हो या वायुयान पर व्यवस्था तथा अनुशासन जोखिम में पड़ता हो।

(2) नियम 22 और नियम 23 के प्रयोजनों के लिए भारत की अधिकारिता व नियमों के नियम 1 में उपबंधित लागू होने के अतिरिक्त, किसी भी अपराध के

मामले में विस्तारित होगा, यदि वह अपराध कार्य भारत से बाहर उड़ान के दौरान वायुयान में हुआ है:

बशर्ते कि -

(क) वायुयान का अगला अवतरण भारत में हो; और

(ख) वायुयान के समादेशक विमान चालक ने संदिग्ध अपराधी को भारत के सक्षम प्राधिकारियों को इस अनुरोध के साथ सौंप दिया हो कि प्राधिकारी संदिग्ध अपराधी पर मुकदमा चलाएं और इस पुष्टि के साथ कि समादेशक विमान चालक या प्रचालक द्वारा न तो ऐसा अनुरोध किसी अन्य देश से किया गया है और न ही किया जाएगा।"

(ख) अनुसूची VI में, श्रेणी II में, क्रम संख्या 10 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"10 क	नियम 22 और नियम 23 के उपबंधों का उल्लंघन	नियम 22 और नियम 23"

[फा. सं. ए वी.-11012/04/2010-ए]
प्रशांत सुकुल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वी-26, तारीख 23 मार्च, 1937 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 2, खंड (3), उप-खंड (i) में प्रकाशित तारीख 3 सितम्बर, 2010 की सा. का. नि. संख्या 726(अ) तारीख 3 सितम्बर 2010 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2010

G.S.R.766(E).—Whereas the draft of Aircraft(Amendment) Rules, 2010 further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), vide notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation number G.S.R. 642(E), dated 29th July, 2010, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 29th July, 2010;

And whereas no objections or suggestions have been received from any person in respect of the draft rules within the period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely:—

1. These rules may be called the Aircraft (4th Amendment) Rules, 2010.

2. In the Aircraft Rules, 1937,—

(A) after rule 21, the following rules shall be inserted, namely:—

"22. Assault and other acts of interference against a crew member – No person shall, on board an aircraft,—

(a) assault, intimidate or threaten, whether physically or verbally, a crew member which may interfere with the performance of the duties of the crew member or lessens the ability of the crew member to perform those duties;

(b) refuse to follow a lawful instruction given by the Pilot-in-Command, or on behalf of the Pilot-in-Command by a crew member, for the purpose of ensuring the safety of the aircraft or of any person or property on board or for the purpose of maintaining good order and discipline on board.

23. Assault and other acts endangering safety or jeopardizing good order and discipline.– (1) No person shall, on board an aircraft,-

(a) assault, intimidate or threaten, whether physically or verbally, any person,

(b) intentionally cause damage to or destroy any of property,

(c) consume alcoholic beverages or drugs,

which is likely to endanger the safety of the aircraft or of any person or jeopardizes the good order and discipline on board the aircraft.

(2) For the purposes of rules 22 and 23, the jurisdiction of India shall, in addition to the applicability provided in rule 1 of these rules, also extend to any offence if the act constituting the offence took place on board any aircraft in flight outside India:

Provided that –

(a) the next landing of the aircraft is in India; and

(b) the Pilot-in-Command has delivered the suspected offender to the competent authorities of India, with the request that the authorities prosecute the suspected offender and with the affirmation that no similar request has been or shall be made by the Pilot-in-Command or the operator to any other State."

(B) In Schedule VI, in Category II, after S. No. 10, the following S.No. shall be inserted, namely:-

"10A	Contravention of the provisions of Rules 22 and 23	Rule 22 and 23"

[F. No. AV.-11012/04/2010-A]

PRASHANT SUKUL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 726(E), dated the 3rd September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 3rd September, 2010.

3677 GI/10-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.